FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0273 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 27/11/2024 21:01 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 20/11/2024 **Date To (दिनांक तक):** 26/11/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:15 बजे **Time To (समय तक):** 15:48 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 27/11/2024 **Time (समय):** 19:14 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 27/11/2024 21:01:05 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-WEST, 40 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABL

(b) **Address(पता):** GSS HARMADA, DISTRICT AJMER

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RAMRATAN CHAODHARY

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RAMKARAN JAT

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1961 (d) **Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	HARMADA, RUPANGARH, AJMER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	HARMADA, RUPANGARH, AJMER, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	NANDARAM CHAODHARY		पिता:RAMDEV CHAODHARY	1. GANW SALEE,DUDU,JAIPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		5,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 5,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर विषयः- लाईन मैन द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत महोदय नम्र निवेदन है कि मैं रामरतन चौधरी पुत्र स्व. रामकरण चौधरी निवासी ग्राम हरमाडा तहसील रूपनगढ जिला अजमेर का हूं। मै गांव हरमाडा में मेरी पत्नी श्रीमती सम्पत देवी व मेरे नाम पर करीब 10 बीघा संयुक्त खातेदारी की भूमी है मै इस भूमी पर पोल्ट्री फार्म खोलना चाहता हूं तथा काम भी चालू करवा दिया है। पोल्ट्री फार्म के लिये विधुत कनेक्शन करवाने के लिये मैने बिजली विभाग के लाईनमैन हरमाडा श्री नन्दलाल जी से बातचीत की तो उसने बिजली विभाग की फीस के अलावा दस हजार रूपये खर्चा पानी के मांगे। मै कल हरमाडा पावर हाउस पर बिजली आवेदन का फार्म लेकर गया। नन्दलाल जी ने फार्म भरा व खर्चे पानी के दस हजार रूपये मांगे मैने कहा कि ज्यादा रूपये मांग रहे हो तो वह नाराज हो गये फिर मैने पैसे देने की हां भरी तो उसने कहा कि फार्म पर पटवारी के साईन व सील लगवा कर जमाबन्दी व नक्शे की कॉपी लेकर कल आ जाना व दस हजार रूपये भी लेकर आना। श्री नन्दलाल सरकारी शुल्क के अलावा बिजली कनेक्शन के लिये दस हजार रूपये मांग रहा है बिजली का कनेक्शन मेरी पत्नी सम्पत देवी के नाम से कर रहा हूं। कनेक्शन की कार्यवाही मेरे द्वारा ही की जा रही है मै नन्दलाल लाईनमैन को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं कृपया कार्यवाही करे।
-एसडी- रामरतन चौधरी प्रार्थी नाम रामरतन चौधरी पुत्र स्व. श्री रामकरण जाति जाट उम्र 63 साल निवासी हरमाडा मो. न. [redacted] दिनांक 20.11.2024 कार्यवाही पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर दिनांक 20.11.2024 समय 1.15 पीएम उपरोक्त तहरीरी रिपोर्ट परिवादी श्री रामरतन चौधरी पुत्र स्व. श्री रामकरण जाट जाति जाट उम्र 63 साल निवासी हरमाडा तहसील रूपनगढ जिला अजमेर ने उपस्थित कार्यालय होकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो अजमेर को सम्बोन्धित करते हुवे मन निरीक्षक दीनदयाल को प्रस्तुत की प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो के सम्बन्ध में दरियाफ़त पर बताया कि मेरी मेरे गांव में करीब 10 बीघा संयुक्त खातेदारी की भूमी है जिसमें मै व मेरी पत्नी संम्पत देवी संयुक्त खातेदार है हमारी इस कृषि भूमी पर मै पोल्ट्री फार्म खोलना चाह रहा हूं। मेरे द्वारा काम भी शुरू कर दिया है । पोल्ट्री फार्म के प्रयोजनार्थ विधुत विभाग से बिजली का कनेक्शन लेने के लिये मैने हमारे गांव के बिजली विभाग के लाईन मैन श्री नन्दलाल से सम्पर्क किया तो उसने सरकारी फीस के अलावा दस हजार रूपये स्वयं के खर्चे के लिये बतौर रिश्वत की मांग की। प्रार्थना पत्र स्वयं की हस्त लेखनी में होकर हस्ताक्षरित होना अवगत कराते हुवे बताया कि मै मेरे वाजिब काम के बदले रिश्वत राशी श्री नन्दलाल को नहीं देना चाहता हूं। बिजली विभाग का जो भी निर्धारित शुल्क है वह मै जमा कराने हेतु तैयार हूं। पुछने पर श्री नन्दलाल लाईनमैन से किसी प्रकार का उधार का लेनदेन नहीं होना बताया एवं ना ही किसी प्रकार की आपसी रंजिश होना अवगत कराया । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एंव दरियाफ़त से मामला बिजली कनेक्शन की ऐवज में रिश्वत की मांग का पाया जाने पर हालात जरीये मोबाईल श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एसीबी अजमेर को अवगत कराये गये जिनके द्वारा आगामी कार्यवाही की जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये। परिवादी श्री रामरतन को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के सम्बन्ध में अवगत कराया तो श्री रामरतन ने बताया कि मै आज ही हरमाडा जाकर श्री नन्दलाल लाईन मैन से रिश्वत के सम्बन्ध में बातचीत कर सकता हूं। कार्यालय आलमारी में सुरक्षित रखे वाईस रिकॉर्डर को मंगवाया जाकर उसे चालु व बंद करने की समझाईस श्री रामरतन चौधरी को की गई। समय 2.30 पीएम पर श्री मनोज कुमार कानि नं 01 को कार्यालय कक्ष में तलब किया जाकर श्री रामरतन चौधरी परिवादी व श्री मनोज कुमार कानिस्टेबल का आपस मे परिचय करवाया व मोबाईल नम्बर आदान प्रदान करवाये श्री मनोज कुमार को तथ्यो से अवगत करवाया जाकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु परिवादी श्री रामरतन के साथ हरमाडा जाने की हिदायत दी गई। कार्यालय आलमारी में से नया /खाली मैमोरी कार्ड मंगवाया जाकर वाईस रिकॉर्डर में मैमेरी कार्ड को डाला जाकर वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के श्री मनोज कुमार कानिस्टेबल नम्बर 01 को सुपुर्द किया गया । समय 2.50 पीएम पर श्री मनोज कुमार कानिस्टेबल नम्बर 01 को मय वायस रिकॉर्डर के परिवादी श्री रामरतन चौधरी के साथ रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता सम्पादित करवाये जाने हेतु हरमाडा के लिये रवाना किया गया। समय 6.50 पीएम पर श्री मनोज कुमार कानिस्टेबल नं 01 व परिवादी श्री रामरतन चौधरी कार्यालय में उपस्थित आये श्री मनोज कुमार ने वॉयस रिकॉर्डर बंद अवस्था में सुपुर्द किया । परिवादी ने बताया कि अजमेर से रवाना होकर हम हरमाडा पंहुचे तो नन्दलाल के मेरे घर पर ही आने की जानकारी प्राप्त हुई । जिस पर हम मेरे घर की तरफ ही चले गये। मेरे घर से कुछ पहले श्री मनोज कुमार ने मुझे वॉयस रिकॉर्डर चालु कर के दे दिया। मैं वॉयस रिकॉर्डर

लेकर मेरे घर पंहुचा जहां पर लाईन मैन नन्दलाल उपस्थित था। हमारे बीच में पोल्ट्री फार्म के लिये बिजली कनेक्शन के सम्बन्ध में बात हुई। बातचीत में उसने बताया कि सात -आठ हजार रूपये की तो रसीदे ही लग जाना व एल फार्म एवं स्टॉम्प आदि का भी खर्चा होना बताया तथा दस हजार रूपये देने के लिये कहा। परिवादी ने बताया कि मैने अपने स्तर पर बिजली विभाग से जानकारी की तो आवेदन फार्म जमा कराते वक्त मात्र 200 रूपये का शुल्क ही लगता है । बाद में एस्टीमेंट बनने के बाद डिमाण्ड नोटिस जारी होता है जिसमें बिजली विभाग की फीस का अंकन होता है । श्री नन्दलाल मेरे से झूठ मूठ ही दस हजार रूपये लेना चाह रहा है। जबकि बिजली विभाग से फार्म भरने के बाद अलग से डिमाण्ड नोटिस जारी होगा। श्री मनोज कुमार द्वारा प्रस्तुत सुदा वायस रिकॉर्डर को चालु करके सुना गया तो परिवादी के तथ्यो की ताहिद हुई। परिवादी ने बताया कि देर शाम हो चुकी है तथा मुझे घर भी जाना है मैं कल वापस आपके पास आ जाउंगां। वॉयस रिकॉडर मन निरीक्षक पुलिस ने अपनी आलमारी में सुरक्षित रखा। समय 8.00 पीएम पर परिवादी श्री रामरतन चौधरी को आवश्यक हिदायत कर दिनांक 21.11.2024 को सुबह 10.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूख्सत किया गया । दिनांक 21.11.2024 समय 12ः25 पीएम पर परिवादी श्री रामरतन उपस्थित कार्यालय आया तथा बताया कि मेरे गांव से अजमेर आते समय रास्ते में लाईमेन नन्दलाल का फोन मेरे मोबाईल पर समय 10ः34 एएम पर आया था जो मैने फोन उठाया नही। नन्दलाल मुझसे विधुत कनेक्शन के बदले रूपये लेने के लिये फोन कर रहा होगा। कार्यालय आलमारी मे सुरक्षित रखे वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को आलमारी में से निकाला जाकर समय 12.47 पीएम पर परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी लाईनमेन नन्दलाल के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल करवा कर मोबाईल का स्पीकर ऑन करके कार्यालय हाजा के डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर्र को चालु करके वार्ता को रिकॉर्ड किया गया। जिसमे परिवादी द्वारा विधुत कनेक्शन के खर्चे के सम्बन्ध में पुछने पर आरोपी ने शाम को आकर मिल बैठकर बात करना बताया। वॉयस रिकॉर्डर को मैने मेरे पास सुरक्षित रखां व परिवादी को कार्यालय में ही बिठाया गया । समय 3ः15 पीएम पर कानि0 मनोज को परिवादी श्री रामरतन के साथ हरमाडा जाकर मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मेमोरी कॉर्ड के सुपुर्द किया जाकर परिवादी श्री रामरतन के साथ कानि0 मनोज को हरमाडा को रवाना किया गया। समय 6ः20 पीएम श्री मनोज कुमार कानिस्टेबल नम्बर 01 एसीबी कार्यालय उपस्थित आया। वॉयस रिकॉर्डर बंद अवस्था में सुपुर्द कर अवगत कराया कि कार्यालय से परिवादी की मोटरसाईकिल से हरमाडा पंहुचे जहां हरमाडा पावर हाउस से कुछ पहले मैने वॉयस रिकॉर्डर चालु करके परिवादी श्री रामरतन को सुपुर्द किया श्री रामरतन पावर हाउस गया करीबन 10-12 मिनट बाद श्री रामरतन वापस आया वॉयस रिकॉर्डर मैने उससे प्राप्त कर बंद कर लिया श्री रामरतन ने बताया कि नन्दलाल पावर हाउस में ही मिल गया उसने मेरे बिजली के कनेक्शन के सम्बन्ध मे बात की तथा स्वयं के खर्चे के पांच हजार रूपये रिश्वत की मांग की एवं डीपी लगाने के समय हजार ग्यारह सौ रूपये और दे देना कहा। मेरे द्वारा वॉइस रिकॉर्डर को चालु करके सुना गया तो परिवादी के कथनो की ताहिद हुई । परिवादी ने बताया कि शाम का वक्त होने के कारण गाय के दुहारी का समय हो जाने के कारण अजमेर आने मे असमर्थता जाहीर की। जिस पर परिवादी को वहीं छोडकर मै जरीये बस कार्यालय उपस्थित आया। श्री मनोज कुमार कानि नं 01 द्वारा पेश सुदा वॉयस रिकॉर्डर को चालु करके सुना गया तो उसमें परिवादी श्री रामरतन व आरोपी श्री नन्दलाल के मध्य विधुत कनेक्शन से सम्बन्धित वार्ता, विधुत कनेक्शन हेतु पोल लगाने से सम्बन्धित वार्ता, प्रति पोल आने वाला खर्चा की वार्ता, डीपी का खर्चा व कुल एस्टीमेट के खर्चे बाबत वार्तालाप होना पाया गया। नन्दलाल द्वारा पांच सात हजार रूपये रिश्वत की मांग करना परिवादी द्वारा पांच हजार दे दूं कहना एवं आरोपी द्वारा पांच हजार दे देना एवं जिस समय हम डिपी लगावे उस समय हजार ग्यारह सौ दे देना आदि वार्तालाप होना पाया गया। इस प्रकार बिजली कनेक्शन हेतु निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त लाईन मैन श्री नन्दलाल द्वारा पांच हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग करना एंव डीपी लगाते वक्त 1000-1100 रूपये की रिश्वत राशी की अतिरिक्त मांग करना पाया गया। वायस रिकॉर्डर को मैने मेरी आलमारी में सुरक्षित रखा । दिनांक 22.11.2024 समय 11.47 एएम तक परिवादी ना तो कार्यालय मे उपस्थित आया है और ना ही उसका मोबाईल फोन आया है जिस पर कानिस्टेबल श्री मनोज कुमार के मोबाईल फोन से परिवादी के मोबाईल फोन पर मैने वार्ता कि तो परिवादी ने बताया कि मेरी बुआ सास की मौत हो जाने से मै दो दिन आपके ऑफिस नहीं आ सकता हूं। अब आगे की कार्यवाही के लिये मै सोमवार को आपके ऑफिस में आ जाउंगां । समय 12.35 पीएम परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में रिश्वत की मांग का सत्यापन हो चुका है। आगामी कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाहो की आवश्यकता है। जिस पर अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग अजमेर के नाम तहरीर जारी की जाकर गवाह तलबी हेतु श्रीमती रूची उपाध्याय महिला कानि नं 321 को भिजवाया गया । समय 01.30 पीएम पर श्रीमती रूचि उपाध्याय महिला कानि नं 321 मय दो गवाहो के उपस्थित आई मन निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना परिचय दिया जाकर उनसे परिचय पुछा तो अपना परिचय श्री कैलाश गुर्जर पुत्र श्री मेवालाल गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 30 साल निवासी नारेली जिला अजमेर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग नगर उप खण्ड नवम अजमेर व श्री शेरसिहं पुत्र बोदूसिंह जाति राजपुत उम्र 30साल निवासी पंत्रालिया पीएस पीलवा तहसील परबतसर जिला डीडवाना कुचामन सिटी हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय अधिक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग वृत अजमेर के रूप मे दिया । हर दोनो को दिनांक 25.11.2024 को समय

9.00 एएम पर एसीबी कार्यालय मे उपस्थित होने की हिदायत देकर रूखस्त किया। दिनांक 24.11.2024 समय 04.01 पीएम पर परिवादी श्री रामरतन के मोबाईल फोन पर सम्पर्क किया गया परिवादी ने बताया कि मै कल सुबह 10 बजे तक 5000 रूपये लेकर आपके कार्यालय मे आ जाउंगा। कल नन्दलाल के विरूद्व रिश्वत लेते हुये पकडवाने की कार्यवाही की जा सकती है। दिनांक 25.11.2024 समय 10.21 ए.एम. तक परिवादी के उपस्थित नही आने पर परिवादी श्री रामरतन के मोबाईल नम्बर [redacted] पर मन निरीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर [redacted] से सम्पर्क किया गया परिवादी ने बताया कि मेरी तबियत खराब होने के कारण अभी मै अस्पताल आया हुआ हूं। आज मै आपके ऑफिस नही आ सकता हूं क्योंकि मेरी तबियत खराब है। परिवादी की तबियत खराब है ट्रेप कार्यवाही किया जाना सम्भव नही होने से गवाहो को पाबन्द कर रूख्सत किया गया। दिनांक 25.11.2024 समय 05.03 पी.एम. पर पुनः परिवादी श्री रामरतन के मोबाईल नम्बर [redacted] पर मन निरीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर [redacted] से सम्पर्क किया गया परिवादी ने बताया कि अब मेरी तबियत ठीक है तथा मैं कल सुबह ट्रेप कार्यवाही के लिये आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउगां। दिनांक 26.11.2024 को स्वतन्त्र गवाहान श्री कैलाश गुर्जर व श्री शेर सिंह, विडियोग्राफर श्री दिनेश कार्यालय में उपस्थित आये परिवादी श्री रामरतन के कार्यालय मे उपस्थित आने पर परिवादी व गवाहन का आपस में परिचय करवाया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 20.11.2024 गवाहन को पढकर सुनाया गया व दिखाया गया। गवाहन से आगामी कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाह रहने की सहमती चाहे जाने पर दोनो ने अपनी अपनी मौखिक सहमति प्रदान की। प्रार्थना पत्र पर गवाहन द्वारा अपने अपने हस्ताक्षर किये। कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखे वॉयस रिकॉर्डर को मय मैमोरी कार्ड के निकाला जाकर वॉयस रिकॉर्डर को चालु करके गवाहन को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य मुख्य अंश सुनाये गये। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का मैमोरी कार्ड मन् निरीक्षक पुलिस ने अपनी अलमारी मे वापस सुरक्षित रखा। समय 12.05 पीएम पर परिवादी श्री रामरतन को दोनो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति मे रिश्वत राशि पेश करने की कहने पर परिवादी ने रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 500-500 रूपये के 10 नोट कुल 5000 रूपये पेश किये, जिन पर श्रीमती रूची उपाध्याय महिला कानि नं. 321 से कार्यालय की अलमारी मे से फिनोफथलीन पाउडर मंगवाकर नोटो पर श्रीमती रूची उपाध्याय महिला कानि नं. 321 से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी श्री रामरतन की पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब मे कुछ भी शेष नही छोडते हुए पाउडर युक्त नोट रखवाये गये। परिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहान को फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया को दृष्टांत देकर समझाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत पृथक से तैयार कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यो के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा सभी का आपस मे परिचय करवाया गया एवं की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही से अवगत करवाया गया। समय 12.45 पीएम. पर मन् दीनदयाल निरीक्षक पुलिस मय, स्वतन्त्र गवाह श्री कैलाश गुर्जर, श्री शेर सिंह, एसीबी स्टॉफ श्री कैलाश चारण हैड कानि नम्बर 62,, श्री रविन्द्र सिंह कानि0 नम्बर 321, श्री किरण कुमार कनिष्ठ सहायक, विडियोग्राफर श्री दिनेश मय लैपटॉप/प्रिन्टर ट्रेपबॉक्स आदि के प्राईवेट वाहन, परिवादी रामरतन एंव श्री मनोज कुमार परिवादी की मोटर साईकिल से मय वायॅस रिकॉर्डर मय नया/खाली मैमोरी कार्ड व श्री सुरेन्द्र कुमार कानि नम्बर 20 व श्री चतर सिंह कानि नम्बर 17 मोटर साईकिल से हरमाडा के लिये रवाना हुये। समय 01.30 पीएम पर उपरोक्त फिकरा के रवाना शुदा मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के गांव हरमाडा से करीब 5 किलोमीटर पहले गोपनीय स्थान पर पहुंचे। परिवादी ने बताया कि कल मेरी तबियत ठीक होने पर जब हरमाडा मे मौजूद था तब श्री नन्दलाल मुझे मिला था उसके साथ में भवंर जी लाईन मैन भी था। नन्दलाल ने मुझे लाईट कनैक्शन का फार्म देकर कहा कि इसको किशनगढ ऑफिस मे जमा करवा दो 200 रूपये की रसीद कटेगी व मेरा खर्चा पानी कल दे देना मै आपका काम जल्दी से जल्दी करवा दूंगा। जिस पर मैने एवीवीएनएल कार्यालय किशनगढ जाकर विधुत कनैक्शन का आवेदन वंहा पर दे दिया, टाईम ज्यादा होने के कारण रसीद उस समय नही कट सकी थी। मैने 200 रूपयें वंही काउण्टर पर दे दिये थे। यह बात मै आपको बताना भूल गया। जिस पर परिवादी को हिदायत दी गई कि अभी एवीवीएनएल कार्यालय किशनगढ जाकर मालूम करें कि फॉर्म जमा होकर रसीद जारी की गई अथवा नही। समय 01.40 पीएम पर परिवादी व कानि0 श्री मनोज कुमार कानि को परिवादी की मोटर साईकिल से एवीवीएनएल कार्यालय किशनगढ के लिये रवाना कर मन् निरीक्षक पुलिस गोपनीयता की दृष्टि से मय हमराहीयान के गोपनीय स्थान के लिये रवाना हुआ। समय 2.00 पीएम पर उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के हरमाडा-किशनगढ मार्ग पर गोपनीय स्थान पर पहुंच कर मुकीम रहा। समय 02.40 पीएम पर श्री मनोज कुमार कानि नम्बर 01 व परिवादी श्री रामरतन शहर किशनगढ - हरमाडा मार्ग पर उपस्थित आये एंव परिवादी ने बताया कि मै बिजली विभाग के कार्यालय गया जंहा पर मुझे काउंटर पर बैठे हुये व्यक्ति ने बताया कि आज आपकी फाईल जमा कर ली है उसने मुझे राशि 200 रूपये की रसीद दी जो लेकर मै आ गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत रसीद का अवलोकन किया गया तो दिनांक 26.11.2024 को समय 11.02.45 ए.एम. पर श्रीमती सम्पत देवी के नाम से 200 रूपये की रसीद केश जमा होना पाया गया। रसीद श्री रामरतन के पास सुरक्षित रखवाई गई। समय 02.50 पीएम पर मन् दीनदयाल निरीक्षक पुलिस मय, स्वतन्त्र गवाह श्री कैलाश गुर्जर, श्री शेर सिंह, एसीबी स्टॉफ श्री कैलाश चारण हैड कानि नम्बर 62,, श्री रविन्द्र सिंह कानि0 नम्बर 321, श्री किरण कुमार कनिष्ठ सहायक, विडियोग्राफर श्री दिनेश मय लैपटॉप/प्रिन्टर ट्रेपबॉक्स आदि के

प्राईवेट वाहन, परिवादी रामरतन एंव श्री मनोज कुमार परिवादी की मोटर साईकिल से मय वायॅस रिकॉर्डर मय नया/खाली भैमोरी कार्ड व श्री सुरेन्द्र कुमार कानि नम्बर 20 व श्री चतर सिंह कानि नम्बर 17 मोटर साईकिल से हरमाडा के लिये रवाना हुये। समय 0.3.00 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के हरमाडा स्थित जीएसएस से कुछ पहले पहुंच कर परिवादी को आवश्यक हिदायत दी जाकर परिवादी को वायॅस रिकॉर्डर श्री मनोज कुमार कानि0 से चालू करवा कर सुपुर्द किया गय। मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के परिवादी के ईशारे के इन्तजार में मुकीम रहा। समय 3.04 पीएम पर परिवादी बिना कोई ईशारा किये उपस्थित आया। वायॅस रिकॉर्डर श्री मनोज कुमार कानि0 ने प्राप्त कर बन्द किया। परिवादी ने बताया कि मै आपके पास से रवाना होकर जीएसएस के अन्दर गया तो वंहा पर नन्दलाल का नया गांव जाना जानकारी में आया , जिससे जीएसएस से थोडी दूर पर एकान्त/गोपनीय स्थान पर पहुंच जिस पर समय 03.09 पीएम पर परिवादी के मोबाईल फोन नम्बर से आरोपी के मोबाईल नम्बर पर कॉल करवाया एंव वायॅस रिकॉर्डर को वार्ता रिकॉर्ड हेतु चालू किया गया, परन्तु आरोपी द्वारा कॉल रिसीव नही किया गया। जिस पर जीएसएस हरमाडा से थोडी दूरी पर ही मुकीम रहे। समय 03.33 पीएम व 03.36 पीएम पर परिवादी के मोबाईल फोन नम्बर से आरोपी के मोबाईल नम्बर पर कॉल करवाया एंव वायॅस रिकॉर्डर को वार्ता रिकॉर्ड हेतु चालू किया गया, परन्तु आरोपी द्वारा कॉल रिसीव नही किया गये। आरोपी के मोबाईल फोन से परिवादी के मोबाईल फोन पर समय 03.37 पीएम पर फोन आया वार्ता को वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। वार्ता में आरोपी का स्वंय का पावर हाउस में ही होना अवगत करवाया गया। समय 3.41 पीएम पर परिवादी को वायॅस रिकॉर्डर चालू कर रिश्वत राशि आदान प्रदान करने हेतु वायॅस रिकॉर्डर चालू कर जीएसएस हरमाडा के लिये रवाना कर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के जीएसएस हरमाडा के नजदीक रवाना हुआ। समय करीब 03.48 पीएम पर परिवादी श्री रामरतन द्वारा अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से कानि0 मनोज कुमार नम्बर 01 के मोबाईल फोन नम्बर [redacted] पर रिश्वत राशि आदान प्रदान का ईशारा किया जिस पर श्री मनोज कुमार कानि0 ने मन् निरीक्षक पुलिस को ईशारा जरिये वाट्सएप कॉल अवगत करवाया, जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा स्टॉफ के सभी सदस्यो को सूचित कर मय हमराहीयान श्री कैलाश चारण हैड कानि0 नम्बर 62, श्री रविन्द्र सिंह कानि नम्बर 308, श्री चतर सिंह कानि, श्री सुरेन्द्र कुमार कानि0, श्री मनोज कुमार कानि नम्बर 01, श्री किरण कुमार कनिष्ठ सहायक मय स्वतन्त्र गवाह श्री कैलाश गुर्जर एंव श्री शेर सिंह एंव विडियोग्राफर श्री दिनेश को हमराह लेकर प्राईवेट वाहन/मोटर साईकिल से हरमाडा स्थिति अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड जीएसएस कार्यालय पहुंचें, जंहा पर परिवादी श्री रामरतन व एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठे हुये मिले। परिवादी ने वायॅस रिकॉर्डर पेश किये जिसे बन्द किया जाकर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने पास सुरक्षित रखा। श्री रामरतन ने खडे होकर कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को लाईन मैन नन्दाराम होना बताते हुये अभी अभी रिश्वत राशि 5000 रूपये लेना अवगत करवाया गया। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना व हमराहीयान का परिचय देकर आने के प्रयोजन से अवगत करवाया व परिचय पूछा तो स्वंय का परिचय नन्दाराम चौधरी पुत्र श्री रामदेव चौधरी उम्र 32 साल निवासी गांव साली तहसील दूदू जिला जयपुर हाल मीटर रीडर द्वितीय जी.एस.एस. हरमाडा कार्यालय सहायक अभियन्ता अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड किशनगढ ग्रामीण जिला अजमेर होना बताया। परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त करने के सम्बन्ध में बताया कि इन्होने गुमराह करके मुझे पैसे दिये है जो इन्होने अपनी मर्जी से ही दिये है मैने रिश्वत नही ली है। इन्होने पांच हजार रूपये दिये जो मैने मेरी पेन्ट की जेब मे रखे पर्स मे रखे है। तत्पश्चात श्री नन्दाराम मीटर रीडर के हाथो के धोवण हेतु जीएसएस हरमाडा से ही पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में से दो पारदर्शी प्लास्टिक के नये डिस्पोजल गिलास निकलवाये जाकर उनमें साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में श्री नन्दाराम के दाहिने हाथ व बायें हाथ की अगुंलियो एवं अंगुठे को बारी-बारी से डुबोकर धुलवाया गया तो दोनो हाथो के धोवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे उपस्थितगणो को दिखाया जाने पर हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। आरोपी श्री नन्दाराम की निशादेही से उसकी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रखे पर्स को गवाह श्री कैलाश गुर्जर द्वारा पेन्ट की जेब से निकाला गया तो उसमें 3048 रूपये, आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, किसान कार्ड, जन आधार कार्ड आदि के साथ में ही 500-500 रूपये के नोट मिले। नोटो को गवाह श्री कैलाश गुर्जर ने गिना तो 500-500 रूपये के 10 नोट कुल 5000 रूपये होना बताया जिनका मिलान दोनो गवाहान को पूर्व की मुर्तिब शुदा फर्द पेशकशी से करने की कहने पर दोनो गवाहान ने नोटो के नम्बरो का मिलान कर हुबहु होना तथा 500-500 रूपये के 10 नोट कुल 10000 रूपये होना बताया। उक्त रिश्वत राशि 5000 को गवाह श्री कैलाश गुर्जर के पास ही सुरक्षित रखा गया एंव आरोपी नन्दाराम के पर्स को मय उसमें मिले सामान सहित गवाह श्री कैलाश गुर्जर के पास ही सुरक्षित रखवाया गया। जीएसएस (पावर हाउस) में आगामी कार्यवाही हेतु संसाधनो की कमी होने से अग्रिम कार्यवाही पुलिस चौकी हरमाडा पर किये जाने का निर्णय लिया जाकर आरोपी श्री नन्दाराम को हमराह लिया जाकर मय धोवण की शिंशिया मय हमराहीयान एंव स्वतन्त्र गवाहान मय रिश्वत राशि के जीएसएस हरमाडा से रवाना होकर पुलिस चौकी हरमाडा पुलिस थाना रूपनगढ पहुंचा जंहा पर चौकी प्रभारी श्री रामजी लाल हैड कानि नम्बर 86 को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना व हमराहीयान परिचय देकर तथ्यो से संक्षिप्त अवगत करवाते हुये अग्रिम कार्यवाही हेतु एक कक्ष की व्यवस्था करवाने के लिये अवगत करवाया गया जिस पर चौकी प्रभारी द्वारा

एक कक्ष आगामी कार्यवाही हेतु उपलब्ध करवाया गया। जिस पर आगामी कार्यवाही आरम्भ की जाकर चार कांच साफ शिशियो को पुनः साफ कर आरोपी श्री नन्दाराम के दाहिने व बांये हाथ के धोवण को पृथक पृथक दो-दो शीशीयो मे आधा-आधा भरकर धोवण की शिंशियों पर मार्क क्रमशः आर.एच. 1 , आर.एच.- 2, एल.एच.- 1 व एल.एच.- 2 अंकित कर सील्ड चिट किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। आरोपी की पहनी हुई पेन्ट की जेब मे रखे पर्स मे बरामद शुदा रिश्वत राशि जो गवाह श्री कैलाश गुर्जर के पास सुरक्षित रखी गई थी का मिलान पुनः फर्द पेशकशी से किया जाकर रिश्वत राशि 5000 रूपये को एक पीले कागज के लिफाफे में रखकर सिल्ड कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क "एन" अंकित किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी के पर्स जिसमें से रिश्वत राशि बरामद हुई थी जो गवाह श्री कैलाश गुर्जर के पास सुरक्षित रखा हुआ का धोवण लिया जाना है। गवाह श्री कैलाश गुर्जर से पर्स प्राप्त किया जाकर पर्स को पूरा खाली करवाया जाकर पर्स का धोवण लिये जाने हेतु ट्रेप बॉक्स में से एक पारदर्शी प्लास्टिक का नया डिस्पोजल गिलास निकलवाया जाकर उनमें साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात पर्स जिसमें से रिश्वत राशि बरामद हुई थी के अन्दर की तरफ कोटन को रंगडा जाकर उक्त घोल में डुबोया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे उपस्थितगणो को दिखाया जाने पर हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात दो कांच की साफ शिशियो को पुनः साफ कर उक्त धोवण को पृथक पृथक पृथक शीशीयो मे आधा-आधा भरकर व धोवण की शिंशियों पर मार्क क्रमशः पी- 1 व पी- 2 अंकित कर सील्ड चिट किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। परिवादी का पर्स जिसमे से रिश्वत राशि बरामद हुई को एक सफदे कपडे की थैली में रखा जाकर सील चिट किया जाकर मार्क पी.डी. अंकित किया जाकर उपस्थितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। पर्स मे रिश्वत राशि 5000 के अतिरिक्त नकद राशि 3048 रूपये, स्वंय का आधार कार्ड, विभागीय परिचय पत्र, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, किसान कार्ड, मोटर साईकिल की आरसी, जन आधार कार्ड श्रीमती सुनीता देवी,एसबीआई बैंक का एटीएम कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड, राज0 मरूधरा ग्रामीण बैंक का डेबिट कार्ड मिले। नकद राशि के सम्बन्ध मे पूछने पर स्वंय के खर्चे के लिये अपने पास रखना बताया। उक्त नकद राशि व उपरोक्त दस्तावेज श्री नन्दाराम को पुनः लौटाये गये। सहायक अभियन्ता अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड किशनगढ ग्रामीण से जरिये मोबाईल फोन वार्ता कर परिवादी श्री रामरतन की पत्नि श्रीमती सम्पत देवी के नाम से प्रस्तुत शुदा विधुत कनैक्शन की पत्रावली की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किये जाने पर पत्रावली की प्रमाणित प्रति श्री छोटेलाल तकनिकी सहायक से साथ मे भिजवाई गई, जिसका अवलोकन किया गया तो श्रीमती सम्पत देवी पत्नि श्री रामरतन जाट निवासी हरमाडा के नाम विधुत कनैक्शन का आवेदन होकर दिनांक 26.11.2024 को 200 रूपये की रसीद जारी की गई है। आवेदन फार्म के साथ में जमाबन्दी एंव खसरा नक्शा, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड आदि की प्रति भी संलग्न है। पत्रावली की प्रमाणित प्रतिंया प्राप्त की जाकर प्रथम व अन्तिम पेज पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी श्री नन्दाराम को रिश्वत राशि के सम्बन्ध मे पुनः पूछने पर बताया कि रामरतन जी अपनी कृषि भूमि पर पोल्ट्री फार्म बना रहे है जिसके लिये विधुत कनैक्शन के लिये इन्होने मुझे कहा था मैने इन्हे फॉमर्लिटी बता दी थी इन्होने आवेदन फार्म एंव पटवारी की रिपोर्ट व आधार कार्ड की कॉपी मुझे दी दी थी जो मैने इन्हे कल वापस दे दी थी। इन्होने मुझे खर्चे पानी के लिये कहा तो मैने इन्हे पांच- सात हजार के लिये कहा था। इन्होने राजीखुशी ही मुझे पैसे देने के लिये कहा था। यह बात सही है कि विधुत कनैक्शन के लिये आवेदन करने के लिये पहले 200 रूपये ही जमा करवाने होते है बाद मे एस्टीमेट बनता है तब डिमाण्ड नोटिस जारी होने पर पैसा जमा करवाना होता है जिसकी रसीद हमारे किशनगढ कार्यालय से प्राप्त होती है। मै इनकी मदद कर रहा था इसलिये इन्होने राजीखुशी मुझे पैसे दिये थे। आरोपी श्री नन्दाराम को रिश्वत राशि लेन देन के समय रिकॉर्ड की गई वार्ता जो डिजीटल वायॅस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड मे दर्ज है को चालू करके सुनाया गया तो रिश्वत राशि के समय हुई वार्ता बाबत पूछने पर बताया कि यह बात सही है कि मैने इनसे 5000 रूपये प्राप्त किये तथा मैने भवंर जी जो कि खातोली गांव मे लाईन मैन है को ईनाम के तौर पर 2000-3000 देने के लिये कहा था। कल जब रामरतन जी आये थे तब भवंर जी भी हमारे साथ ही थे इसलिये मैने इन्हे ऐसे ही कह दिया था। ये 5000 रूपये पूरे मै ही रखता। ट्रेप कार्यवाही से पाया गया है कि परिवादी श्री रामरतन चौधरी पुत्र श्री स्वर्गीय रामकरण जाति जाट उम्र 63 साल निवासी हरमाडा तहसील रूपनगढ जिला अजमेर द्वारा गांव हरमाडा स्थित अपनी सयुंक्त खातेदारी की कृषि भूमि में पोल्ट्री फार्म प्रयोजनार्थ विधुत कनैक्शन अपनी पत्नि श्रीमती सम्पत देवी के नाम से करवाने की एवज में अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा प्राप्त किये जाने वाले निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त आरोपी श्री नन्दाराम मीटर रीडर द्वितीय जी.एस.एस. हरमाडा कार्यालय सहायक अभियन्ता अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड किशनगढ ग्रामीण जिला अजमेर द्वारा परिवादी से 5000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की जाकर दिनांक 26.11.2024 को परिवादी से 5000 प्राप्त किये, जो रिश्वत राशि आरोपी की पहनी पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब मे रखे हुये पर्स में से रूबरू गवाहान बरामद किये गये। आरोपी के दोनो हाथो के धोवण एंव पर्स के धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना पाया गया है, जो आरोपी का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का कारित करना पाया गया है। आरोपी श्री नन्दाराम चौधरी पुत्र श्री रामदेव चौधरी उम्र 32 साल निवासी गांव साली तहसील दूदू जिला जयपुर हाल

मीटर रीडर द्वितीय जी.एस.एस. हरमाडा कार्यालय सहायक अभियन्ता अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड किशनगढ ग्रामीण जिला अजमेर का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का कारित करना पाया जाने पर आरोपी को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। घटना स्थल का नक्शा मौका पृथक से मुर्तिब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। कार्यवाही के दौरान विडियोग्राफी श्री दिनेश से करवाई गई । कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एंव हाथ धुलाई व जब्ती पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी को वंही से रूख्सत कर गिरफ्तार शुदा आरोपी मय हमराहीयान के हरमाडा से रवाना होकर एसीबी चौकी अजमेर पर उपस्थित आया। दिनांक 27.11.2024 को गवाह श्री कैलाश गुर्जर, तथा शेरसिहं व परिवादी रामरतन के कार्यालय मे उपस्थित आने पर प्रकरण से सम्बन्धित रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एंव रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता की ट्रासंक्रिप्ट तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई। समस्त मालखाना आर्टिकल मालखाना मे जमा करवाये गये। सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया है कि परिवादी श्री रामरतन चौधरी पुत्र श्री स्व. श्री रामकरण जाति जाट उम्र 63 साल निवासी हरमाडा तहसील रूपनगढ जिला अजमेर द्वारा गांव हरमाडा स्थित अपनी सयुंक्त खातेदारी की कृषि भूमि में पोल्ट्री फार्म प्रयोजनार्थ विधुत कनैक्शन अपनी पत्नि श्रीमती सम्पत देवी के नाम से करवाने की एवज में अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा प्राप्त किये जाने वाले निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त आरोपी श्री नन्दाराम मीटर रीडर द्वितीय जी.एस.एस. हरमाडा कार्यालय सहायक अभियन्ता अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड किशनगढ ग्रामीण जिला अजमेर द्वारा परिवादी से 5000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की जाकर दिनांक 26.11.2024 को परिवादी से 5000 प्राप्त किये, जो रिश्वत राशि आरोपी की पहनी पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब मे रखे हुये पर्स में से रूबरू गवाहान बरामद किये गये। आरोपी के दोनो हाथो के धोवण एंव पर्स के धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना पाया गया है, जो आरोपी का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का कारित करना पाया गया है। आरोपी श्री नन्दाराम चौधरी पुत्र श्री रामदेव चौधरी उम्र 32 साल निवासी गांव साली तहसील दूदू जिला जयपुर हाल मीटर रीडर द्वितीय जी.एस.एस. हरमाडा कार्यालय सहायक अभियन्ता अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड किशनगढ ग्रामीण जिला अजमेर का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) का कारित करना पाया जाने पर उक्त कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवा मे सादर प्रेषित है। (दीनदयाल) निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर..........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री दीनदयाल, निरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री नन्दाराम चौधरी पुत्र श्री रामदेव चौधरी उम्र 32 साल निवासी गांव साली तहसील दूदू जिला जयपुर हाल मीटर रीडर द्वितीय जी.एस.एस. हरमाडा कार्यालय सहायक अभियन्ता अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड किशनगढ ग्रामीण जिला अजमेर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री नरेन्द्र सिंह राठौड, पुलिस निरीक्षक, कार्यलय उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 389 पर अंकित है।(राहुल कोटोकी) उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1507-10 दिनांक 27-11-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित हैः−1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर। 2- सचिव प्रशासन, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर । उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** NARENDRA SINGH RATHORE **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Rahul Katakey
Location: Rajasthan,IN
Date: 27/11/2024 21:03:25

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): RAHUL KATAKEY

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	05/01/1992				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)